न्यायालयः सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–X, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०......84/2024

कंप्यूटर रजि०नं०..............204/2024

सरकार बनाम अमित कुमार आदि

अंतर्गत धारा– 147,364,302/149,201 भा०द०सं०

एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम

थाना–मुरादनगर गाजियाबाद।

मु0 अ 0 सं0–410/2023

<u>आरोप</u>

मैं, अनिल कुमार–X, सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद आप अभियुक्त अमित कुमार को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

प्रथमः यह कि दिनांक 02.08.2023 को रात्रि के समय करीब 11.48 पी०एम० बजे स्थान ग्राम सुराना पुल के नीचे अंतर्गत सीमा थाना मुरादनगर गाजियाबाद में आप अभियुक्त ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव कर बलवा कारित किया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा– 147 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादिनी की बहन रागिनी उर्फ आरोही उम्र 21 वर्ष को वैन्यू गाड़ी संख्या– UP37R8195 सफेद रंग में बैठाकर उसकी हत्या करने के उद्देश्य से उसका व्यपहरण किया गया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–364 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त दिनांक व स्थान पर किसी समय आप अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में वादिनी की बहन रागिनी उर्फ आरोही को वैन्यू गाड़ी में सुराना के पास हिन्डन नदी के पुल पर ले जाकर पिस्टल से गोली मारकर उसकी हत्या कारित कर दी, जिसका शव दिनांक 03–08–2023 को मुरादनगर में सुराना पुल के नीचे मिला। इस प्रकार आपने धारा 302 सपठित धारा– 149 भा0 द 0 सं0 के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त दिनांक पर किसी समय आप अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी की बहन रागिनी उर्फ आरोही की हत्या करने के बाद, स्वयं को हत्या के अपराध के दण्ड से बचाने के लिए, हत्या का साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से उसके शव को ग्राम सुराना हिंडन नदी के पुल के नीचे फेंक दिया।इस प्रकार आपने धारा–201 भा० द० सं० के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचमः यह कि दिनांक 04–08–2023 को किसी समय मुखबिर की सूचना पर गंग नहर पुल के पास अंतर्गत सीमा थाना मुरादनगर गाजियाबाद में आपके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद नाजायज देसी पिस्टल .32 बोर चालू हालत में मय दो जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिन्हें रखने का आपके पास कोई लाईसेंस नहीं था। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो कि आयुध अधिनियम की धारा–3/25/27 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के लिये आप अभियुक्त का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
दिनांक 16.08.2024 गाजियाबाद।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाए व समझाए गए। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
दिनांक 16.08.2024 गाजियाबाद।

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–X, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०......84/2024

कंप्यूटर रजि०नं०..............204/2024

सरकार बनाम अमित कुमार आदि

अंतर्गत धारा–147,364,302/149,201 भा०द०सं०

थाना–मुरादनगर गाजियाबाद।

मु0 अ 0 सं0–410/2023

आरोप

मैं, अनिल कुमार–X, सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद आप अभियुक्तगण अंकुर सिंह, करन उर्फ केपी, रामू उर्फ आकाश एवं सुमित कुमार उर्फ सुमित राज को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

प्रथमः यह कि दिनांक 02.08.2023 को रात्रि के समय करीब 11.48 पी०एम० बजे स्थान ग्राम सुराना पुल के नीचे अंतर्गत सीमा थाना मुरादनगर गाजियाबाद में आप अभियुक्तगण ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव कर बलवा कारित किया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–147 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादिनी की बहन रागिनी उर्फ आरोही उम्र 21 वर्ष को वैन्यू गाड़ी संख्या–UP37R8195 सफेद रंग में बैठाकर उसकी हत्या करने के उद्देश्य से उसका व्यपहरण किया गया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–364 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त दिनांक व स्थान पर किसी समय आप अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में वादिनी की बहन रागिनी उर्फ आरोही को वैन्यू गाड़ी में सुराना के पास हिन्डन नदी के पुल पर ले जाकर पिस्टल से गोली मारकर उसकी हत्या कारित कर दी, जिसका शव दिनांक 03–08–2023 को मुरादनगर में सुराना पुल के नीचे मिला। इस प्रकार आपने धारा 302 सपठित धारा–149 भा0 द 0 सं0 के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त दिनांक पर किसी समय आप अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी की बहन रागिनी उर्फ आरोही की हत्या करने के बाद, स्वयं को हत्या के अपराध के दण्ड से बचाने के लिए, हत्या का साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से उसके शव को ग्राम सुराना हिंडन नदी के पुल के नीचे फेंक दिया।इस प्रकार आपने धारा–201 भा० द० सं० के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के लिये आप अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(अनिल कुमार–X)

सत्र न्यायाधीश

दिनांक 16.08.2024 गाजियाबाद।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाए व समझाए गए। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 16.08.2024

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–X, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०......84/2024

कंप्यूटर रजि०नं०..............204/2024

सरकार बनाम अमित कुमार आदि

अंतर्गत धारा–364,302/149,120B भा०द०सं०

थाना–मुरादनगर गाजियाबाद।

मु0 अ 0 सं0–410/2023

<u>आरोप</u>

मैं, अनिल कुमार–X, सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद आप अभियुक्ता राखी सिंह को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

प्रथमः यह कि दिनांक 02.08.2023 को रात्रि के समय करीब 11.48 पी०एम० बजे स्थान ग्राम सुराना पुल के नीचे अंतर्गत सीमा थाना मुरादनगर गाजियाबाद में आप अभियुक्ता ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादिनी की बहन रागिनी उर्फ आरोही उम्र 21 वर्ष का वैन्यू गाड़ी संख्या–UP37R8195 सफेद रंग में बैठाकर उसकी हत्या करने के उद्वेश्य से उसका व्यपहरण कराया गया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–364 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि उपरोक्त दिनांक व स्थान पर किसी समय आप अभियुक्ता द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में वादिनी की बहन रागिनी उर्फ आरोही को वैन्यू गाड़ी में व्यपहरण कराने के पश्चात् सह अभियुक्तगण द्वारा रागिनी उर्फ आरोही को सुराना के पास हिन्डन नदी के पुल पर ले जाकर पिस्टल से गोली मारकर उसकी हत्या कारित कर दी, जिसका शव दिनांक 03–08–2023 को मुरादनगर में सुराना पुल के नीचे मिला। इस प्रकार आपने धारा 302 सपठित धारा–149 भा0 द 0 सं0 के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त दिनांक व स्थान से पूर्व किसी समय आप अभियुक्ता द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी की बहन रागिनी उर्फ आरोही को जान से मारने की योजना बनाकर आपराधिक षडयंत्र किया तथा उक्त आपराधिक षडयंत्र के अग्रसरण में वादिनी की बहन का वैन्यू गाड़ी में व्यपहरण कराया गया तथा सह अभियुक्तगण द्वारा उसे सुराना के पास हिन्डन नदी के पुल पर ले जाकर पिस्टल से गोली मारकर उसकी हत्या कारित की गयी। इस प्रकार आपने धारा–120B सपठित धारा–302 भा0 द 0 सं0 के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के लिये आप अभियुक्ता का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 16.08.2024

आरोप अभियुक्ता को पढ़कर सुनाए व समझाए गए। अभियुक्ता ने आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 16.08.2024